Crackdown Against Wanted Criminals

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2026

■ □थाना सैयदराजा व सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गोवध के अभियोग में 25,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.03.2026 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा जेठमलपुर तिराहा, NH-19 हाईवे की उत्तरी लेन पर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वाहन चालक वाहन को सड़क के किनारे रोककर फरार हो गया।

पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन की तलाशी ली गयी तो वाहन के डाले में प्लास्टिक के कैरेटों के पीछे क्रूरतापूर्वक बांधकर रखे गये कुल 06 गोवंश (साड़) बरामद हुए। बरामद गोवंश को पुलिस कब्जे में लेकर नियमानुसार उनकी देखभाल एवं चिकित्सकीय परीक्षण की कार्यवाही की गयी।

वाहन की जांच करने पर वाहन पर पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी। वाहन के चेचिस नम्बर MA1RA2TTKP1D40277 के माध्यम से ई-चालान ऐप पर ऑनलाइन सर्च करने पर वाहन का पंजीकरण नम्बर UP70LT9005 तथा पंजीकृत स्वामी गंगाधर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय निवासी शंकरपुर, धानुपुर, हण्डिया, प्रयागराज का नाम प्रकाश में आया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु0अ0सं0 88/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान वाहन स्वामी गंगाधर पाण्डेय की संलिप्तता प्रकाश में आने पर उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तारी विवरण-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा द्वारा सर्विलांस पुलिस टीम की मदद से वांछित/इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 27.08.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैयदराजा के मु0अ0सं0 88/2026 से सम्बन्धित वांछित 25,000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गंगाधर पाण्डेय अपने घर के पास मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त की तलाश/घेराबंदी की गयी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल के पास पान की गोमती से दिनांक 27.08.2026 को समय 17:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ एवं गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गंगाधर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय,

निवासी शंकरपुर, धानुपुर, थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उम्र- लगभग 42 वर्ष। वाहन संख्या UP70LT9005 का पंजीकृत स्वामी।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 88/2026, धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

हे0का0 आशुतोष सिंह सर्विलांस सेल, जनपद चन्दौली।

का0 नीरज मिश्रा, सर्विलांस सेल, जनपद चन्दौली।

का0 बृजेश चौहान, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

का0 शंकर राम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

म0का0 नेहा देवी, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2026

□थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा लूट व फायरिंग की घटना का सफल अनावरण।

□घटना कारित करने वाले गिरोह 04 शातिर लुटेरे को किया गया गिरफ्तार,

□गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 तमंचा, 06 कारतूस, लूटी गई सोने की चेन, नकदी व 02 मोटरसाइकिलें की गयी बरामद।

□अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में हत्या व हत्या के प्रयास जैसे कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है।

पूर्व की घटना-

दिनांक 25.08.2026 को समय करीब 21:30 बजे वादी मुकदमा सूर्यान्श जायसवाल पुत्र रवि कुमार जायसवाल निवासी गल्लामण्डी ईस्टर्न बाजार, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली अपने मित्र प्रशान्त यादव व मोहित चौहान के साथ गाड़ी से एस०एस० हॉस्पिटल आलमपुर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान टीवीएस मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगाकर रोक लिया तथा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करते हुए वादी के गले से सोने की चेन छीनकर चन्दौली की तरफ भाग निकले।

लूट व जानलेवा हमले की घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 540/2026 धारा 109(1)/309(6) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगन राज सिंह व प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम राम जनम यादव के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर व स्वाट टीम द्वारा विवेचना के क्रम में भौतिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फूटेज व अन्य इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के संकलन के साथ ही लूट की घटना के खुलासे हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 28.08.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 25.08.2026 को एस०एस० हॉस्पिटल के पास हुई लूट की घटना से संबंधित अभियुक्तगण पुनः किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से सकलडीहा की तरफ से रिंग रोड की तरफ आ रहे हैं।

सूचना पर विश्वास कर थाना अलीनगर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा तारापुर/आलमपुर अंडरपास के पास घेराबंदी कर सकलडीहा की तरफ से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की गई। थोड़ी देर में एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का इशारा करने पर वे मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगे। सड़क गीली होने के कारण उनकी बाइक फिसलकर गिर गई, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार किया गया बाइक से गिरने के कारण गिरफ्तार अभियुक्तों को शरीर में चोटें आयी जिन्हे प्राथमिक उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में इलाज कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से क्रमश: पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल चालक राजकुमार दुबे पुत्र राघवेन्द्र दुबे, निवासी जमुआवं, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर। (उम्र लगभग 26 वर्ष) तथा पीछे बैठे व्यक्ति अमन गिरी पुत्र संतोष गिरी, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 25 वर्ष) के रूप में हुई।

राजकुमार दुबे के कब्जे से दिनांक 25.08.2026 को लूटी गई एक पीली धातु की चेन, 01 तमंचा 315 बोर, 01 कारतूस, 02 मोबाइल फोन, ₹3,000 नगद एवं घटना में प्रयुक्त टीवीएस रोनिन बाइक (UP61BL9666) बरामद हुई। अमन गिरी के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, 01 मोबाइल फोन व ₹500 नगद बरामद हुए।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उनके दो अन्य साथी, जो पीछे बाइक से रेकी व बैकअप के लिए आ रहे हैं। इसी दौरान एक अन्य मोटरसाइकिल (बजाज पल्सर) पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पहले ने अपना नाम कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा पुत्र रामकुवर मिश्रा, निवासी अमाधपुर (तीनमोकरम), थाना धानापुर, जनपद चन्दौली (उम्र लगभग 30 वर्ष) तथा दूसरे ने विनोद सिंह बताया। कमलेश मिश्रा के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस व ₹420 नगद तथा विनोद सिंह पुत्र स्व० रामजनम सिंह, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली (उम्र लगभग 45 वर्ष) के पास से 01 कारतूस व ₹500 नगद बरामद हुए।

घटनाकारित करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

राजकुमार दुबे पुत्र राघवेन्द्र दुबे, निवासी जमुआवं, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वह अपने बुआ के लड़के कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा पुत्र रामकुवर मिश्रा, निवासी अमाधपुर (तीनमोकरम), थाना धानापुर, जनपद चन्दौली के पास आता था वहाँ अमन गिरी के साथ मिलकर पार्टी करते थे पार्टी करने के उपरान्त अमन गिरी व राजकुमार टीवीएस रोनिन बाइक से हाइवे पर निकल जाते थे वे सैयदराजा से राजातालाब तक हाइवे पर घूमते रहते थे और मौका पाकर असलहा के बल पर मारपीट करते हुए लूट की घटना कारित करते थे घटनाकारित करने के उपरान्त वे कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा के गांव वाले घर पर बाइक खड़ी करते थे व धानापुर स्थित दूसरे मकान पर जाकर भोजन करके सो जाते थे तथा विनोद सिंह जो बभनियाव थाना धीना जनपद चन्दौली के पास कुटी की तरह एक झोपड़ी बनाकर रहते थे जिसमें अपराधियों द्वारा आपराधिक घटना करने के उपरान्त असलहा छिपाकर रखते थे तथा सहयोग करते थे।

वादी मुकदमा सूर्यान्शि जायसवाल द्वारा मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार अभियुक्तों राजकुमार दुबे व अमन गिरी की पहचान की गई तथा अपने लूटे गए सोने की चेन की शत-प्रतिशत शिनाख्त की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजकुमार दुबे पुत्र राघवेन्द्र दुबे, निवासी जमुआवं, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर। (उम्र लगभग 26 वर्ष)

2. अमन गिरी पुत्र संतोष गिरी, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 25 वर्ष)

3. कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा पुत्र रामकुवर मिश्रा, निवासी अमाधपुर (तीनमोकरम), थाना धानापुर, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 30 वर्ष)

4. विनोद सिंह पुत्र स्व० रामजनम सिंह, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 45 वर्ष)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

कमलेश मिश्रा उर्फ पंकज मिश्रा पुत्र रामकुवर मिश्रा, निवासी अमाधपुर (तीनमोकरम), थाना धानापुर, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 30 वर्ष)

1-मु0अ0सं0-08/25 धारा 316(2),351(3),352 बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

विनोद सिंह पुत्र स्व० रामजनम सिंह, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 45 वर्ष)

1-मु0अ0सं0-69/95 धारा 302 भादवि थाना धीना

2-मु0अ0सं0 43/2000 धारा 307 504 भादवि थाना धीना

3-मु0अ0सं0124/2003 धारा 110G सीआरपीसी थाना धीना

4-मु0अ0सं0 226/2009 धारा 302 307 504 भादवि थाना धीना

5- मु0अ0सं0 229/2009 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना धीना

अमन गिरी पुत्र संतोष गिरी, निवासी बभनियाव, थाना धीना, जनपद चन्दौली। (उम्र लगभग 25 वर्ष)

1- मु0अ0सं0 76/2026 धारा 115(2) 352 351(3) 191(2) बीएनएस थाना अलीनगर

बरामदगी का विवरण-

01 पीली धातु की चेन (दिनांक 25.08.2026 की घटना से संबंधित)।

कुल ₹4,420/- नगद (लूटे गए रुपयों का अवशेष)।

03 अवैध तमंचा 315 बोर एवं 06 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

01 मोटरसाइकिल टीवीएस रोनिन (पंजीकरण सं0: UP61BL9666)।

01 मोटरसाइकिल बजाज पल्सर (बिना नंबर प्लेट, चेचिस सं0: MD2B68BX1RTM41487)।

03 मोबाइल फोन (वीवो, ओप्पो, रेडमी)।

पूर्व पंजीकृत-

मु0अ0सं0 540/2026 धारा 109(1)/309(6) बीएनएस में बरामदगी व साक्ष्यों के आधार पर धारा 317(2)/61(2) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी करते हुए गिरफ्तार चारों अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 योगेन्द्र नाथ यादव, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अनिल कुमार यादव, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अमित कुमार सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 आकाश सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 अभिषेक दूबे, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 शिवांशु सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 प्रवेश सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

हे0का0 चालक बच्चा सिंह, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 चालक सर्वजीत सिंह गौतम, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

स्वाट टीम-

1.नि- राम जन्म यादव (प्रभारी स्वाट टीम)

2.मु. आ.राणा प्रताप सिंह

3.मु आ. रामानंद यादव

4.मु.आ. सतीश सिंह

5.आ. अमित सिंह

6.आरक्षी महेश कुमार

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनाँक 28.08.2026

□थाना मुगलसराय व साइबर सेल पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में सर्विलांस टीम की मदद से महिलाओं को जबरदस्ती बंधक बनाकर अश्लील फोटो/वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग व धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश।

□दिनांक 14.05.2026 वाली घटना में गिरफ्तार महिला खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर पीडिता को डरायी वा धमकायी थी।

□गिरोह के सरगना सहित 04 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार।

□भारी मात्रा में मोबाइल फोन, नगदी, कूट रचित पहचान पत्र व वाहन बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद चन्दौली पुलिस के पास डायल 112 व एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से जनपद चन्दौली क्षेत्रांतर्गत अलग-अलग शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जनपद चन्दौली क्षेत्र में एक संगठित गिरोह एक्टिव है जो नौकरी व मकान दिलाने के नाम पर महिलाओं को बंधक बनाता है फिर खुद को पुलिस टीम बताकर जबरदस्ती महिलाओं का नग्न अवस्था का फोटो/विडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए धन उगाही कर रहा है।

उपरोक्त के क्रम में थाना मुगलसराय व साइबर सेल द्वारा जांच की गयी तो प्रकाश में आया कि एक संगठित गिरोह है जो महिलाओं को नौकरी व मकान दिलाने के नाम पर उपरोक्त घटना कर रहा है।

उपरोक्त प्रकार की घटना से सम्बंधित थाना मुगलसराय पर दो शिकायतें प्राप्त हुई और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जिनका विवरण अग्रलिखित है-

1-थाना मुगलसराय पर दिनांक 27.08.2026 को वादिनी आशा देवी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 14.05.2026 को नौकरी दिलाने के बहाने आरोपियों ने उन्हें रामनगर से ग्राम डहिया स्थित एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया। वहाँ मौजूद अज्ञात व्यक्तियों तथा खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाली एक महिला ने उनके साथ मारपीट व गलत हरकत की, एक लड़के के साथ वीडियो बनाकर परिजनों को वायरल करने की धमकी दी और फिरौती मांगी। करीब दो दिन बंधक रखने तथा परिजनों द्वारा लगभग 30,000 रुपये भेजने के बाद 15.05.2026 को उन्हें छोड़ा गया। इस दौरान आरोपियों ने उनका मोबाइल छीनकर 'फोन-पे' के माध्यम से लगभग 75,000 रुपये भी जबरन ट्रांसफर करवा लिए।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय में अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0-444/2026 धारा 140(2), 127(2), 74, 115(2), 352, 308(2) तथा 3(5) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

2-थाना मुगलसराय पर दिनांक 27.08.2026 को वादिनी आयशा द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 16.08.2026 को ऑनलाइन मकान देखने के सिलसिले में आरोपी उन्हें रामनगर चौराहे से ग्राम डहिया स्थित एक मकान में ले गए। वहाँ 3 अज्ञात पुरुषों और 1 महिला ने उन्हें कमरे में बंधक बनाकर निर्वस्त्र किया, उनका वीडियो बनाया और इसे वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट व गाली-गलौज की, उनका मोबाइल छीनकर उनके पति को कॉल कर फिरौती मांगी तथा बाद में पीड़िता के बैंक खाते से 'फोन-पे' के माध्यम से 1,14,000 रुपये भी ट्रांसफर कर लिए। पीड़िता रात में किसी तरह छतों के रास्ते भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहीं।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय में अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0-443/2026 धारा 140(2), 127(2), 76, 77, 115(2), 352, 308(2) तथा 3(5) के तहत पंजीकृत अभियोग किया गया है।

पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया कि विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी जो पहले लोकांटो (Locanto) वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एस्कॉर्ट सेवा संचालित करता था। वर्ष 2023 में एक एस्कॉर्ट महिला द्वारा उसके साथ ठगी किए जाने पर उसने कॉल गर्ल्स/एस्कॉर्ट महिलाओं से बदला लेने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नौकरी व मकान दिलाने के नाम पूर्व निर्धारित स्थान पर बुलाकर फर्जी पुलिस टीम बनकर डराते व धमकाते हुए जबरदस्ती महिलाओं का नग्न का अवस्था फोटो विडियो बनाकर उनसे व उनके परिजनो से आनलाइन/आफलाइन माध्यम से धन उगाही करते थें।

पुलिस कार्यवाही-

उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान व मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की तलाश के क्रम में अर्जुन सिंह थानाध्यक्ष मुगलसराय के कुशल नेतृत्व में उपनिरीक्षक सूरज (थाना मुगलसराय) व उपनिरीक्षक अभिषेक शुक्ला (साइबर थाना) मय पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से दिनांक 28.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर डहिया बद्रीपुरम कालोनी स्थित एक मकान पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। मौके से घटना में शामिल 03 पुरुष व 01 महिला अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर वादिनीगण द्वारा अभियुक्तगण की पहचान की गई।

अभियुक्तगण के कब्जे से 08 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, ₹72,300/- नगद, 09 एटीएम कार्ड, फर्जी/कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, पासबुक, चेकबुक, पोर्टेबल वाईफाई डिवाइस तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल (पल्सर सं0-MP19MN1166) व 01 स्कूटी (सं0-UP70HJ7170) बरामद हुई। बरामद वाहनों को धारा 207 MV Act के तहत सीज किया गया तथा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 319(2)/318(2)/338/336(2) BNS की बढ़ोतरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों -

1-विजय कुमार गुप्ता उर्फ संजय गुप्ता उर्फ रॉकी पुत्र स्व0 शिवनाथ गुप्ता, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम खान सेमरा, थाना शंकरगढ़, जनपद प्रयागराज (वर्तमान पता: शैलेन्द्र सिंह का मकान, ग्राम हमीदपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली)।

2-कृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 शिवनाथ गुप्ता, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम खान सेमरा, थाना शंकरगढ़, जनपद प्रयागराज (वर्तमान पता: ग्राम हमीदपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली)।

3-विशम्भर विश्वकर्मा पुत्र बैजनाथ विश्वकर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सुजाबाद, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी।

4-अंजली गुप्ता पत्नी विजय कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम खान सेमरा, थाना शंकरगढ़, जनपद प्रयागराज (वर्तमान पता: ग्राम हमीदपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली)।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

पूछताछ पर मुख्य अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता उर्फ रॉकी ने बताया कि एस्कॉर्ट सर्विस में धोखाधड़ी होने के बाद एस्कॉर्ट्स से बदला लेने की योजना बनाई थी। अभियुक्तों के सत्य मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया। ये लोग एस्कॉर्ट्स को बुक करके बुलाकर उनका नग्न वीडियो बनाकर एवं मार पीट कर अवैध धन वसूलते थे।

योजना के तहत विशम्भर विश्वकर्मा महिलाओं को बुक कर रामनगर चौराहा से बद्रीपुरम स्थित मकान पर लाता था, जहाँ अभियुक्तगण महिलाओं को बंधक बनाकर, निर्वस्त्र कर उनका अश्लील वीडियो बनाते थे तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर परिजनों से व्हाट्सएप कॉल कर फिरौती माँगते थे व ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराते थे।

अभियुक्ता अंजली गुप्ता *स्वयं को सीबीआई का अधिकारी बताकर डराती और धमकाती थी* तथा फर्जी/कूटरचित आधार कार्ड व बैंक खातों के माध्यम से फिरौती की रकम प्राप्त करने व गिरोह के वित्तीय लेनदेन को प्रबंधित करने में संलिप्त थी।

बरामदगी विवरण-

1-08 एंड्रॉइड मोबाइल फोन (विभिन्न कम्पनियों के)

2-नगद ₹ 72,300/- रुपये (फिरौती/धोखाधड़ी की धनराशि)

3-09 एटीएम कार्ड, 05 आधार कार्ड (कूटरचित/फर्जी)

4-पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी, श्रम कार्ड, कोविड कार्ड

5-विभिन्न बैंकों की पासबुक व चेकबुक (यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा)

6-01 पोर्टेबल वाईफाई डिवाइस व 01 टॉर्चर किट

7-01 स्कूटी सं0-UP70HJ7170 एवं 01 मोटरसाइकिल पल्सर सं0-MP19MN1166

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

अर्जुन सिंह थानाध्यक्ष मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

उ0नि0 सूरज, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अभिषेक शुक्ला, साइबर थाना, जनपद चन्दौली।

हे0का0 सनोज सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

हे0का0 राकेश सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

हे0का0 अभिषेक सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

हे0का0 अरविन्द यादव, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

का0 मंटू सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली।

का0 सुनील कुमार गुप्ता, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

का0 मोहन सैनी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

म0का0 रिंशू सिंह, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।